


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याता अंग्रेजी/संस्कृत (स्कूल शिक्षा) की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान(राउमावि/राबाउमावि)	अवधि	राउमावि/राबाउमावि जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्रीमती अर्चना तैलंग, व्याख्याता अंग्रेजी, कोटपूतली, जिला जयपुर	फरवरी-17, मई-17 एवं जून-17	राउमावि कोटपूतली, जयपुर से व्या. अंग्रेजी के रिक्त पद विरुद्ध।
2	डॉ. विजय लाल बैरवा, व्या. संस्कृत, हरसाना, त0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर	दिनांक 30.05. 2017 से 06. 07.2017 तक	राउमावि हरसाना, त0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर से व्याख्याता संस्कृत के रिक्त पद विरुद्ध।
3	श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व्या. अंग्रेजी, अस्तावन, जिला भरतपुर	दिनांक 13.06. 2017 से 31. 07.2017 तक	राउमावि सबलाना, भरतपुर से व्याख्याता के रिक्त पद विरुद्ध।


उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 22/11/17

कमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/वेतनव्यवस्था/2015-16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर